कार्यालय नगर पंचायत, खुसरूपुर(पटना)

Email ID- Khusrupur.Np@gmail.Com

पत्रांक 1082

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, खुसरूपुर

सेवा में,

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना

खुसरूपुर, दिनांक – 19/08/17

विषय :– अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 1187/15–16 का लंबित अनुपालन (वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15) समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर पंचायत खुसरूपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 1187/15–16 का लंबित अनुपालन (वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15) का वस्तुस्थिति/अनुपालन क्रमबार निम्न प्रकार है :–

अंकेक्षण द्वारा उठाई गई आपत्ति	वस्तुस्थिति / अनुपालन
1. शम्भू नाथ सहाय द्वारा अप्रस्तुत होल्डिंग रसीद	उक्त कर संग्राहक से संबंधीत प्राप्त H रसीद(होल्डिंग) रसीद प्राप्त कर अंकेक्षण कार्य के समय प्रस्तुत कर दिया गया था , अत: अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाय।
2. भाऊचर का संधारण नियमानुकूल नहीं	आपत्तियों में दिय गए विन्दुओं के अनुसार भाऊचर का संधारण कर दिया गया है जिसे अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दिया जाएगा।
3. रोकड़ वही का पूर्ण संधारण नहीं	अंकेक्षण के दौरान ही आपको दिखा दिया गया था एवं निर्देशनुसार सभी मदों का वर्षवार 2012-13,2013-14 एवं 2014-15 की विवरणी पुन: दिनांक 26/06/2015 को ही आपको हस्तगत करवा दिया गया है।
4. मकान कर की राशि रूपये 892 कम जमा	अंकेक्षण के दौरान राशि 892 रूपये जमा कर आपको प्रस्तुत कर दिया गया था। जिसका छाया प्रति पुन: संलग्न कर भेजी जा रही है। अत: अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
5. अप्रस्तुत अभिश्रव	अप्रस्तुत अभिश्रव को अंकेक्षण के समय प्रस्तुत के दिया गया था। अत: अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
6. सामाजिक सुरक्षा पेंशन .... उपयोगिता अप्रस्तुत	अंकेक्षण के दौरान ही सभी अभिश्रवे आपको प्रस्तुत कर दिया गया था। अत: अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
7. योजना क्रमों मे .... विलम्ब शुल्क कटौती नहीं	योजनाओ के कियान्वयन के क्रम मे प्रावधानों के अंतर्गत ससमय दिए गए आवेदनों पर व्यवहारिक एवं तकनीकी कारणों को मद्देनजर रखते हुए ससमय विस्तार की स्वीकृति दी गई थी जिसकी छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है किया जाता है कि इसे विलोपित किया जाए।
8. SJSRY के उपरांत प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओ से आयकर कर की कटौती नहीं	आयकर कटौती से संबंधित जानकारी का आभाव एवं दक्ष कर्मचारी नहीं होने के कारण आयकर की कटौती नहीं की गई इस संबंध में समाधान सेवा समिति को आयकर जमा करने के संबंध में सुचना दे दी गई है जिसकी छायाप्रति संलग्न किया जा रहा है अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दिया जाएगा।

9. [illegible] व्यय का ब्यौरा	अंकेक्षण के दौरान इसे प्रस्तुत कर दिया गया था।
10. शिक्षा एवं स्वास्थ्य की राशि जमा नहीं करने के संबंध में	इसके संबंध में किस शीर्ष में राशि जमा की जानी है इसकी जानकारी निकाय को नहीं है। अतएव इस संबंध में नगर विकास विभाग के पत्राचार कर जानकारी प्राप्त होने पर समुचित करवाई की जाएगी।
11. सक्शन मशीन के क्रय निरर्थक व्यय	सक्शन मशीन का क्रय नगर निकाय में नागरिक के शौचालय की टंकी की सफाई की आवश्यकताओं को देखते हुए क्रय किया गया है ताकि ससमय आवशयकता अनुसार जरूरत मंद लोगो को इसका लाभ दिया जा सके। अत: अनुरोध है कि इस पारा को विलोपित किया जाए।
12. वगैर उपयोगिता के चार छोटा फोगिंग मशीन का क्रय किये जाना	नगर पंचायत छोटी-छोटी गलियाँ अत्यधिक होने के कारण छोटा फोगिग मशीन का क्रय किया गया था ताकि नगर पंचायत के नागरिको का स्वाथ्य का पूरा ध्यान रखा जा सके क्योकि इस संबंध में सरकारी स्तर से निरंतर निर्देश प्राप्त होता रहता है। इस संबंध में लॉगबुक की छायाप्रति संलग्न किया जा रहा है अत : अनुरोध है कि इस पारा को विलोपित किया जाए।
13. होल्डिंग कर बकाया की वसूली नहीं	पूर्व में नियुक्त टैक्स कलेक्टर वर्ष 2011 में ही सेवा निवृत हो चुके थे एवं उनके स्थान पर 4 टैक्स कलेक्टर कमीशन पर रखे गये परन्तु कुछ दिनों के बाद कम कमीशन के वजह से 3 (तीन) कमीशन टैक्स कलेक्टर कार्य छोड़ दिये है वर्तमान में एक ही कार्यरत है। अतएव टैक्स की वसूली प्रभावित हुई है। बकाया होल्डिंग कर की वसूली की करवाई कैम्प लगाकर अभियान के तहत की जा रही है।
14.(i) बजट कार्य में सावजनिक सहभागिता नहीं	विदित हो कि प्रशिक्षित लेखापाल उपलब्ध नहीं रहने के कारण इसका पूर्णत: पालन संभव नहीं हो पाया। बजट कार्य में जनसहभागिता हेतु कदम उठाया गया है और विभाग को उपलब्ध कराये गए बजट में जनसहभागिता की प्रति संलग्न किया गया, अंकेक्षण आपत्ति में उठाये गए बिंदु में एक छाया प्रति संलग्न किया जा रहा है। अत: अनुरोध है कि इस पारा को विलोपित किया जाए।
14.(ii) बजट का अर्धवार्षिक समीक्षा नहीं	अनुपालन हेतु प्रयास किया जा रहा है।
15. वगैर सशक्त स्थाई समिति के स्वीकृति के चार कर्मियों के वेतन का भुगतान किया गया	बगैर सशक्त स्थाई समिति की स्वीकृति के चार कर्मियों के वेतन का अग्रिम भुगतान किया जाना नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा चयनित ओउट्सोर्स एजेसी वाणी सिस्टम प्राइवेट लिमटेड द्वारा विभागीय दिश-निदेश के आलोक में नगर पंचायत खुसरुपुर में चार कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराई उप सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 3343 दिनांक 05-11-2014 द्वारा उक्त चरों कर्मियों पर होने वाले संभावित व्यय की राशि 8,13,728.00 रूपये का ड्राफ्ट निदेशक बुडा के नाम से बना कर निश्चित रूप से लाने को कहा गया। उक्त पत्र के अनुपालन में कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत खुसरुपुर द्वारा चतुर्थ वित्त की आवंटित राशि में से संभावित व्यय की राशि राशि 8,13,728.00 रूपये का ड्राफ्ट निदेशक बुडा नगर विकास एवं आवास विभाग को ड्राफ्ट द्वारा दिया गया है इससे संबंधित विभाग द्वारा किये गए पत्राचार की छाया प्रति संलग्न किया जा रही है। अत: अनुरोध है की उक्त कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।
16. नगर पंचायत की योजनओं को जिला योजना समिति में नहीं भेजा जाना	मात्र सरकार के निर्देशनुसार BRGF की ही योजनए जिला योजना समिति को भेजा जाना है तदनानुसार वहाँ से प्रेषित योजनओं को ही क्रियान्वित कराया जाना है। अन्य 5 लाख तक की योजनओं की प्रशसनिक स्वीकृति का अधिकार सरकार द्वारा निकाय वोर्ड को प्राप्त है। तदनानुसार ही सम्पूर्ण कार्य नियमानुकूल है।
17.(i) आय व्यय सम्बन्धी अभियुक्ति	विदित हो कि सरकार के निर्देशनुसार दोहरी प्रणाली की लेखा व्यवस्था के अनुपालन के दिशा में करवाई किया जा रहा है जिसमे लेखापाल रोकड़ बही आंतरिक जानकारी के लिए पोषित किया जा रहा आपके निर्देशनुसार भविष्य पोषित करने का आदेश लेखापाल को दें दिया गया

	है। सभी मदों का सब्सिडरी रजिस्ट्रर वित्तिय वर्ष 2012-13,2013-14 एवं 2014-15 का पोषित है , जिसे आपके अंकेक्षण के दौरान दिखा दिया गया था। साथ ही अंतशेष राशि का विवरणी आपको हस्तगत भी करा दिया गया है। दोहरा लेखा प्रणाली एवं सब्सिडीयरी रजिस्टर का संधारण कर लिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दिया जाएगा।
17.(ii) बैंक पासबुक एवं कैशबुक में राशि अंतर	कैश बुक में सभी मदों का अलग अलग राशि का लेखा-जोखा है जबकि एक पास बुक में 3-4 मदों की राशि जमा है , निर्देशनुसार सुधार कर आपको हस्तगत करा दिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दिया जाएगा।
18. SJSRY मे अनियमित व्यय	इस सन्दर्भ में सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये गए दिश निर्देश के एक-एक पहलु को ध्यान में रखते हुए संबंधित कार्य को पूर्ण कराया गया है एवं इसके आलोक में ही राशि का व्यय किया गया है अगले अंकेक्षण के दौरान इसे पुनः दिखा दिया जाएगा। अतएव अनुरोध है कि इस पारा को विलोपित किया जाए।
19. मोबाईल टावर का बकाया	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में स्थगित रखा गया था कालान्तर में विभाग के निदेशानुसार समय-समय पर नोटिस दिया जाता रहा है।अतः इसे विलोपित किया जाए।
20. बजट प्रक्कलन के विरुद्ध कम लक्ष्यों की प्राप्ति	प्रर्याप्त कर्मचारियों एवं पद की योग्यता नहीं रखने वाले कर्मचारियों के आभाव तथा संबंधित विषय के पुर्नादत्त नहीं रहें के कारण अंशतः इसका पालन संभवत नहीं हो पाया। आवश्यक निर्देश सभी संबंधित कर्मियों को को दिया जा रहा है ताकि लक्ष्य को हासिल किया जा सके। अतः इसे विलोपित किया जाए।
21.(i) बैंक संधारण विवरणी तैयार नहीं	बैंक संधारण विवरणी आपके निर्देशानुसार तैयार कर आपको हस्तगत करा दिया गया है। छाया प्रति संलग्न किया जा रहा है कृपया विलोपित किया जाए।
21(ii)13 वें वित्त के रोकड़ वहीका अभीतक संधारण क्यों नहीं किया गया	13 वीं वित्त के रोकड़ वही का संधारण कर लिया गया है। अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दिया जाएगा।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन

19/8/17

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, खुसरूपुर

D:\B\Aug\AG_Audit_Com.docx

कंडिका (15)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कार्यालय आदेश

सं0सं0–01/स्था0 (M.P.)–05/15 292 न0 वि0 एवं आ0 वि0, पटना, दिनांक–26/8/15

Out Sourcing के माध्यम से चयनित एजेन्सी द्वारा नगर निकायों को उपलब्ध कराए गए **Man Power** के भुगतान के लिए प्राप्त अभिश्रवों की जांच एवं समीक्षा हेतु श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव एवं श्री विजय रंजन, उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को प्राधिकृत किया जाता है।

ह0/–
(विजय रंजन)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 4389 /न0वि0एवं.आ0वि0, पटना, दिनांक–26/8/15

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी चयनित **H.R. Agency** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8

सरकार के उप सचिव।

D:\Letter. 2015\karyalay aadesh.doc

पत्रांक–01/स्था0 (विविध)–43/2014 3314 न0वि0एवं.आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विजय रंजन,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

BSA Corporation Ltd.
G A. Digital Web World, Delhi
Comex Computer, Chapra
Vani System Pvt. Ltd., Lucknow

पटना, दिनांक–25/11/14

विषयः– चयनित उम्मीदवारों का योगदान दिनांक–01.12.2014 तक निश्चित रूप से कराए जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक नगर निकायों में "Man Power" उपलब्ध कराने हेतु आपसे प्राप्त चयनित उम्मीदवारों की सूची के संबंध में कहना है कि चयनित उम्मीदवारों से एकरारनामा दिनांक–28.11.2014 तक निश्चित रूप से सम्पादित कराकर दिनांक–01.12.2014 तक पदस्थापित नगर निकाय में योगदान करवाना सुनिश्चित कराऐं।

विश्वासभाजन,

25/11/14

सरकार के उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

पत्रांक 3739

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विजय रंजन(वि.प्र.से.)
सरकार के उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा मे

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
सभी नगर परिषद / पंचायत
कार्यपालक अभियंता, डूडा

पटना, दिनांक 1/12/14

विषय:- नगर निकायों एवं डूडा में Man Power उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सभी नगर निकाय एवं डूडा को Man Power उपलब्ध कराने के संबंध में निम्नलिखित एजेंसी का चयन विभाग द्वारा डूडा एवं निकायवार किया गया है:-

1. सभी डूडा – B S A Corporation Ltd.
2. पटना नगर निगम / नगर परिषद – G.A. digital WEB WORD PVT. LTD. DELHI
3. अन्य नगर निगम / शेष नगर परिषद (SPUR आच्छादित) – Comex Computer Chapra
4. सभी नगर पंचायत – VaniSystem Pvt. Ltd. Lucknow

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.12.2014 से चयनित एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये सभी पदों के कर्मियों को योगदान स्वीकृत करते हुए विभाग को प्रत्येक दिन 5.00 बजे अपराह्न तक अवगत कराना सुनिश्चित किया गया।

विश्वासभाजन

3/12/14

(विजय रंजन)
सरकार के उप सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

LETTER - V

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
कार्यालय आदेश

संoसंo–01/स्थाo (एमoपीo)–82/14 ...102........ नo विo एवं आo विo, पटना, दिनांक– 9/3/16

निकायों/डुडा में नियमित कर्मियों के सर्वथा अभाव के फलस्वरूप कार्य निष्पादन में कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से निम्नांकित चार H.R. Agencies द्वारा मानव बल उपलब्ध कराया गया था :–

(i) BSA Corporation Ltd. Pune

(ii) G.A. Digital Web World, Delhi

(iii) Comex Computer, Chapra

(iv) Vani System Pvt. Ltd., Lucknow

2. यह प्रावधान किया गया था कि संबंधित एजेसियों द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव बल का भुगतान केन्द्रीयकृत रूप से मुख्यालय स्तर से किया जायेगा। इस हेतु शहरी स्थानीय निकायों से राशि प्राप्त की गयी और उस राशि से विभाग के द्वारा भुगतान हो रहा था।

3. निकायों/डुडा में H.R. Agencies के द्वारा मानव बल उपलब्ध कराये जाने संबंधी विभागीय केन्द्रीयकृत व्यवस्था के संबंध में विभिन्न स्रोतो से शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसमें मुख्यतः बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा–37 (10) के उल्लंघन का उल्लेख होता था। इस बिन्दु पर माननीय उच्च्य न्यायालय में वाद भी दायर किये गये।

4. समीक्षा में इन कर्मियों की कार्यक्षमता पर भी प्रश्नचिन्ह उठाये जाते रहे है। संबंधित चारों H.R. Agencies का एकरारनामा दिनांक–31.10.15 को समाप्त हो गया।

5. इन एजेसिंयों का अवधि विस्तार करने के संबध में विभाग के वरीय पदाधिकारियों की समिति गठित की गयी थी। इस समिति द्वारा इन एजेंसियों के कार्यकलाप एवं परिस्थितियों की समीक्षा करके अवधि विस्तार नहीं करने का परामर्श दिया गया है।

अतः सम्यक विचारोपरांत चारों H.R. Agencies के एकरारनामा को विस्तारित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। सभी संबंधित डुडा/निकायें तदनुसार इन एजेन्सियों से कोई कर्मियों की सेवा नहीं लेंगे।

ह0/–
(भरत झा)
निदेशक नगरपालिका प्रशासन
–सह–संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक– 1674 /न०वि०एवं.आ०वि०, पटना, दिनांक– 9/3/16

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/BSA Corporation Ltd. Pune/G.A. Digital Web World, Delhi/Comex Computer, Chapra/ Vani System Pvt. Ltd., Lucknow को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त, सभी नगर निगम (पटना नगर निगम को छोड़कर)/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/नगर पंचायत एवं कार्यपालक अभियंता, सभी जिला शहरी विकास अभिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक नगरपालिका प्रशासन
–सह–संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

(02)

कंडिका 14 (i)

अनुलग्नक - 1

वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट की तैयारी हेतु वार्डसभा की बैठक की कार्यवाही का मानक प्रपत्र

वार्ड संख्या :– 06

वार्ड सदस्य का नाम एवं मोबाईल [illegible] कुमार 9931632407

नगर निकाय द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी का नाम एवं मोबाईल नं0 – आशीष कुमार सिन्हा, 8409778596

- (उपस्थिति का प्रमाण अलग से संलग्न करें)

1. बजट 2016–17 की तैयारी के क्रम में वार्डसभा की बैठक हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये :–

   (i) *स्वच्छता (सभी घरों से डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण करके, वाहनों द्वारा संग्रह स्थल पर भेजा जाना चाहिए। साथ ही साथ सभी सार्वजनिक स्थानों, पथों आदि पर नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए। अतः वर्तमान व्यवस्था पर चर्चा कर वार्डसभा का अभिमत दर्ज किया जाय।) :–*

   (ii) *हर घर नल–जल (राज्य सरकार का निश्चय है कि सभी घरों तक नल द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो। वार्ड की वर्तमान व्यवस्था पर चर्चा की जाय और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो कार्य किये जाने हों, उसका निर्धारण करके अंकित किया जाय।):–*

   (iii) *सबके लिए शौचालय (हर घर में निजी शौचालय अनिवार्य है। इस हेतु सरकार की योजना चल रही है, जिसमें शौचालयविहीन परिवारों को कुल 12,000/–रूपये (बारह हजार रूपये) की सहायता अनुमान्य है। वार्ड के सभी घरों में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किये जा रहे प्रयासों पर चर्चा की जाय और वार्डसभा का अभिमत दर्ज किया जाय। इस क्रम में वार्ड के शौचालयविहीन परिवारों की सूची, जो नगर निकायों द्वारा बनायी गयी है, वह सार्वजनिक तौर पर पढ़कर, वार्डसभा से अनुमोदित करायी जाय। इसमें गलत नाम जुड़ा है तो उन्हें हटाया जाय और सही नाम छूटा है तो उन्हें शामिल कराया जाय। जिन परिवारों के पास शौचालय बनाने के लिए भूमि नहीं है, उनके प्रयोजन हेतु सामुदायिक शौचालय के प्रस्ताव पारित किये जाय तथा वार्ड के महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय एवं मुत्रालय की समुचित व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित की जाय।) :–*

   (iv) *सबके लिए आवास (सबके लिए आवास योजना के चारों घटकों के बारे में चर्चा की जाय। नगर निकाय द्वारा गृहविहीन परिवारों की तैयार की गयी सूची, वार्डसभा में पढ़कर सुनायी जाय। इसमें गलत नाम जुड़ा है तो उन्हें हटाया जाय और पात्र परिवार छूटे हैं तो उन्हें शामिल किया जाय। [illegible] In situ slum development, Credit [illegible] [illegible] जानकारी दी जाय)*

वार्ड स [illegible] वार्ड न.-8

मे [illegible] दोपहर

[illegible] जिसमे वार्ड

12 [illegible]

सदस्य [illegible] र मिल [illegible]

प्रतिनियुक्त [illegible] के उपस्थिति मे

किया गया।

[illegible signature] Kumar	Abhishek Kr. Sinha 18/01/16
वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर	नगर निकाय द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी का हस्ताक्षर

वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट की तैयारी हेतु वार्ड सभा [redacted] की बैठक की कार्यवाही

प्रपत्र

वार्ड सभा में [redacted] का नाम, मोबाईल नं.

क्रम	नाम	मोबाईल नं.	हस्ताक्षर
1	मीना देवी	[redacted]	मीणा देवी
2	चन्द्र मणी [redacted]	[redacted]	चन्द्रमणि
3	सोनु कुमार	[redacted]	सोनु कुमार
4	दिनेश कुमार	[redacted]	दिनेश कुमार
5	जितेन्द्र कुमार	[redacted]	J.Jendra
6	उषा देवी	[redacted]	उषा देवी
7	कृष्णा प्रसाद [redacted]	[redacted]	कृष्णा कुमार महतो
8	खाजो [redacted]	[redacted]	... देवी
9	दिलीप कु[redacted]	[redacted]	दिलीप कुमार
10	साहस कु[redacted]	[redacted]	[illegible]
11	मुन्नी देवी	[redacted]	मुन्नी देवी
12	रविन्द्र राय	[redacted]	रविन्द्र राय
13	राकेश कुमार	[redacted]	राकेश कुमार
14	अरविन्द कुमार	[redacted]	Arvind
15	संतोष कुमार	[redacted]	संतोष कुमार
16	मणिकांत कुमार	[redacted]	Manikant
17	शेषमणी पाण्डेय	[redacted]	[illegible]
18	अनुराधा देवी		अनुराधा देवी
19	[illegible]		[illegible] प्रसाद
20	मुकेश कुमार	[redacted]	मुकेश कुमार
21	कृष्ण कान्त कुमार		कृष्ण कान्त कुमार

(2)

बजट 2016-17 की तैयारी मे वार्डसभा की बैठक में [illegible] निम्नवत है :—

स्वच्छता [illegible] दौरान आये

(i) यह [illegible] और कूड़ा संग्रह होना [illegible] आदि पर [illegible] वर्तमान व्यवस्था [illegible] में कुछ सुधार की जरूरत [illegible]

(ii) हर [illegible] के दौरान पाया गया कि [illegible] व्यवस्थाएं है। [illegible] है।

(iii) सर्वे [illegible] पर चर्चा के [illegible] पाया [illegible] चयनित लाभुकों के घर शौचालय [illegible] अतः इन्हें शौचालय की [illegible]

[illegible]

(A) महि[illegible] है।

बेटी [illegible]

(B) सरकारी [illegible] शौचालय [illegible]

(C) कामें [illegible] से वंचित शौचालय एवं मूत्रालय आवश्यक है।

(H) कृष्ण राम के घर से अशोक जी के मकान तक मिट्टी भराई, ईंट सोलींग, P.C.C. और R.C.C नाला निर्माण कार्य
लं० — 100 फीट चौड़ाई — 7 फीट

(I) रामशंकर पंडित के [illegible] चौ० — 6 फीट

(J) राजकुमार लहेरी के मकान से कुसैया जाबड़ा तक R.C.C नाला निर्माण कार्य
लं० — 100 फीट चौ० — 3 फीट

रामशंकर पंडित के मकान से मस्जिद के पिछे से नाला जाबड़ा तक
R.C.C नाला निर्माण कार्य - लं० — 350 फीट चौ० — 4 फीट
कवर स्लेप R.C.C के साथ

सबके लिए आवास यो[illegible]

(iv) चय[illegible] मुआ[illegible]

[illegible] गया।

(V) हर घर तक पक्का रोड [illegible] की जाँच
मे पाया गया कि कुछ [illegible] की
पूरा [illegible] आवश्यक [illegible] प्रकार है:-

(A) [illegible] के चारो
तरफ [illegible]

(B) मस्जिद [illegible]
तक [illegible] फीट [illegible] तक

(C) छोटी [illegible] से लेकर [illegible] माण
मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग, [illegible] चौ०-५ फीट
तथा PCC पथ निर्माण [illegible] विद्यालय

(D) मस्जिद से लेकर कम्युनिटी [illegible] PCC नाला
लं० - 100 फीट चौ० - 5 फीट PCC पथ निर्माण [illegible]

(E) रामाधार [illegible] से लेकर [illegible] प्रसाद
के घर तक PCC पथ निर्माण [illegible]
नाला निर्माण कार्य। लं० - 100 फीट चौ० - 7 फीट

(F) कृपानंद पाण्डेय के मकान [illegible] के घर
होते हुये हरी जी के गली होते हुये
काली जी मंदिर तक मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग
PCC नाला निर्माण एवं PCC [illegible] निर्माण
कार्य।

बन गया

(VI) जल जमाव के बारे मे जाँच मे पाया
गया कि कुछ स्थानों पर PCC नाला

(G) डा० [illegible] जी के मकान से लेकर [illegible] मियाँ के मकान
लेकर [illegible] जी के मकान तक PCC कार्य लम्बाई - 275 चौ० - 10 फीट

(VII) [illegible]
मिट्टी भराई, सोलिंग

निर्माण … आवश्यक है, जो इस प्रकार है:—

(A) मंदिर … होता है, इसे निराकरण … के पीछे से मियाँ … RCC … निर्माण कार्या

(B) डाकघर … हॉस्पीटल तक जलजमाव होता है … निराकरण के लिए डाकघर से मि… का निर्माण कार्य

(vii) पार्किंग … चर्चा … कि पार्किंग … उपयु… जगह है, … निर्माण … कार्य योजना के द्वारा हो …

(viii) स्ट्रीट ला… पर चर्चा के दौरान कई मुख्य … स्ट्रीट लाइट बताई गई … इस प्रकार है:—

(A) डाकघर …
(B) अजय जी … के पास
(C) दिलीप जी … दुकान के पास
(D) गणेश स… के पास
(E) मनोहर जी … पास
(F) ऋण कार्नर … दुकान के पास
(G) स्व. ओम प्र… हलवाई के घर के पास
(H) रामबाबू पटवा के कोने पर
(I) अखाड़ा मे

[illegible] कंडिका (12)

(15)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	सुरेन्द्र [illegible] 24-9-2013	[illegible] 08/13

क्र.सं.	तिथि	दवा का मात्रा प्रति लीटर	किन किन वार्डों में लगाया	छिड़काव करने वाले कर्मी का नाम	हस्ताक्षर
6	14.9.13	डिमान 25 लीटर का फॉगिंग मशीन एवं डस्टर 14-9-13 [illegible]	डेंगू के प्रकोप से बचाव के लिए पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में लगाया गया। [illegible]	सुरेन्द्र पासवान रामाधार पासवान।	[illegible]
7	21-9-13	डिमान 25 लीटर - बड़ा फॉगिंग एवं छोटा मशीन 21-9-13 [illegible]			[illegible]
8	26-9-13	छोटा फॉगिंग मशीन 15 लीटर डिमान [illegible]	वार्ड नं 1 से 4 तक [illegible] एवं वार्ड नं 9 से 10 तक [illegible] छोटा मशीन से फॉगिंग किया गया। सुरेन्द्र पासवान	सुरेन्द्र पासवान रामाधार पासवान।	[illegible]

फोगिंग मशीन का लॉग बुक

क्रम सं.	प्रयोग तिथि	कितना ईंधन आवंटित किया	कितना किलोमीटर चला / किस वार्ड में चला	फोगिंग करवाने वाले का नाम	हस्ताक्षर
(1)	5-6-13	1.5 लीटर फोगिंग मशीन हेतु 5-6-13 को आवंटित किया (मशीन में) सुरेन्द्र पालीवाल	वार्ड सं 4 एवं 3 के स्टेशन रोड व गणेश स्थान सुरेन्द्र पालीवाल	सुरेन्द्र पालीवाल सफाई जमादार	[illegible]
2.	9-6-13	सुरेन्द्र पालीवाल	वार्ड सं. 5 एवं 6 के आजाद रोड मन्दिर मार्ग होते हुए श्री अनन्त देव के पास बाजार [illegible] होते हुए गणेश स्थान तक सुरेन्द्र पालीवाल	सुरेन्द्र पालीवाल सफाई जमादार	[illegible]
3	15.6-13	सुरेन्द्र पालीवाल	वार्ड सं. 1 एवं 2 तथा वार्ड नं 8 में [illegible] सुरेन्द्र पालीवाल	सुरेन्द्र पालीवाल सफाई जमादार	[illegible]
4	12.8.13	छोटा पोर्टेबल फोगिंग मशीन के टेस्टिंग एवं चलाने हेतु डीजल – 10 लीटर पेट्रोल – 5 लीटर सुरेन्द्र पालीवाल	वार्ड नं 1 में एवं 2 में [illegible] सुरेन्द्र पालीवाल	सुरेन्द्र पालीवाल सफाई जमादार	[illegible]
5	23-8-13	→	छोटा फोगिंग मशीन से वार्ड सं-9 एवं 10 में सुरेन्द्र पालीवाल	सुरेन्द्र पालीवाल सफाई जमादार	[illegible]

कंडिका - (11)

अध्यक्ष महोदय

नगर पंचायत खुसरुपुर (पटना)

मेरे वार्ड मे बहुत से लोग सागर पंडित, विनोद शर्मा, धनेश कुमार के नेतृत्व में आए एव अनुरोध कर रहे है की बजरंगबली मंदिर से रामविलास साव के मकान तक दो तीन फिट लगभग पानी जमा पड़ा है। जिसके कारण महामारी फैलने की संभावना।

अत: मेरे वार्ड मे 15 दिनो के लिए सेक्सन मशीन भेजने की कृपा किया जाए विदित हो की अभी वर्षा हो रही है और पानी की अकसर बढ़ता ~~जा रहा~~ है जाएगा।

हमलोग सेक्सन मशीन चलाने में आने वाला तेल पानी का खर्च स्वयं वहन करेंगे

आपका
रेखा देवी
20|07|13

कार्य पालक पदा० ... [illegible]

प्रोसीडिंग

अनुपालन ... किया जाय ...

[illegible] 31/07/13

अनुपालन
24-6-2013

कंडिका (8)

कार्यालय नगर पंचायत, खुसरूपुर(पटना)

पत्रांक 1070/दिनांक 17.8.17

स्मारित पत्र

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत खुसरूपुर

प्रेषित,

सचिव
समाधान सेवा समिति
पाटलीपुत्रा कॉलानी पटना–13

विषय:-नगर पंचायत खुसरूपुर के वर्ष 2013–13 से 2014–15 के लेखाओ पर आघारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1187/15–16 के कंडिका 11 के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओ से आयकर की कटौती नही करने से संबंधित

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर पंचायत खुसरूपुर में आपके संस्था के द्वारा प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया था जिसके ऐवज में मो0 1350000.00 रूपये का भुगतान चार चेक के द्वारा किया गया था चेक संख्या (1) 780113 दिनांक 12/11/2012, (2) 780114 दिनांक 25/03/2013 (3) 780115 दिनांक 25/03/2015 एवं 780120 दिनांक 09/09/2013 के माध्यम से दिया गया है जिस पर की आयकर की कटौती की जानी थी परन्तु नही किया गया है

अतः आप पत्र प्राप्ती के दो दिनो के अन्दर आयकर की कटौती आयकर विभाग में जमा कर अथवा कार्यालय नगर पंचायत खुसरूपुर के लेखा शाखा में जमा कर अघोहस्ताक्षरी को सूचित करे।

इसे अति आवश्यक समक्षे।

अनुलग्नक–यथोक्त

17/8/17

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत खुसरूपुर

Gmail

Nagar Panchayat Khusrupur <khusrupur.np@gmail.com>

letter No 1070 Dated 17.08.2017

Nagar Panchayat Khusrupur <khusrupur.np@gmail.com> 19 August 2017 at 14:06
To: "samadhansevasamiti.sss.2004" <samadhansevasamiti.sss.2004@gmail.com>

--
Dear Sir/Madam,

Kindly find the attached here

Thanks & Regards,
Nagar Panchayat Khusrupur

"Print this mail only if absolutely necessary. Save Paper. Save Trees."

Always Throw Garbage in The Dustbin | Keep Your City Clean & Green.

Open Defecation is the shame on the Nation

2 attachments

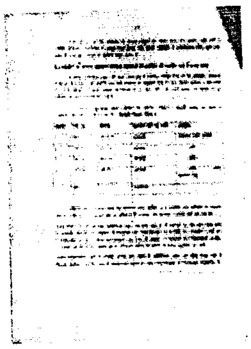

Anulagnak.jpg
456K

ltno.1070.pdf
388K

कार्यालय नगर पंचायत, खुसरूपुर(पटना)

पत्रांक 854 / दिनांक 21.6.17

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत खुसरूपुर

प्रेषित,

सचिव
समाधान सेवा समिति
पाटलीपुत्रा कॉलानी पटना–13

विषयः-नगर पंचायत खुसरूपुर के वर्ष 2013–13 से 2014–15 के लेखाओ पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1187/15–16 के कंडिका 11 के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओ से आयकर की कटौती नही करने से संबंधित

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर पंचायत खुसरूपुर में आपके संस्था के द्वारा प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया था जिसके ऐवज में मो0 1350000.00 रूपये का भुगतान चार चेक के द्वारा किया गया था चेक संख्या (1) 780113 दिनांक 12/11/2012, (2) 780114 दिनांक 25/03/2013 (3) 780115 दिनांक 25/03/2015 एवं 780120 दिनांक 09/09/2013 के माध्यम से दिया गया है जिस पर की आयकर की कटौती की जानी थी परन्तु नही किया गया है

अतः आप पत्र प्राप्ती के दो दिनो के अन्दर आयकर की कटौती आयकर विभाग में जमा कर अथवा कार्यालय नगर पंचायत खुसरूपुर के लेखा शाखा में जमा कर अघोहस्ताक्षरी को सूचित करे।

इसे अति आवश्यक समक्षे।

21/6/17
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत खुसरूपुर

16.8.13

सेवा में   कंडिका (7)

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, इस्लामपुर (पटना)

विषय:- योजना सं० 07/13-14 के समयावधि में विस्तार की अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में,

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं शैलेश कुमार योजना सं० 07/13-14 का संवेदक हूँ इस योजना को पूर्ण करने से सम्बन्धित कार्यादेश दिनांक 29-06-13 को निर्गत किया गया था जिसमें 60 दिन में कार्य को पूर्ण किया जाना था परन्तु स्थानीय लोगों के द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न करना एवं जलजमाव के कारण कार्य को समयावधि में पूर्ण करना संभव नहीं है अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त योजना को पूर्ण करने के लिए कम से कम (8) माह का समय विस्तार करने की अनुमति प्रदान करें ताकि जल जमाव की समस्या एवं स्थानीय लोगों को मिलाकर कार्य को दिनों में समय विस्तार में पूर्ण कर सकूं इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा

आपका विश्वासी
शैलेश कुमार
16-08-2013

कनीय अभि०
उक्त योजना के जल जमाव के कारण कार्य बाधित रहा। [illegible] कार्य की [illegible] उक्त योजना [illegible]
16/8/13

प्रधान लि० यह कार्य में रिपोर्ट दें।
[illegible]
20/8/13

कनीय अभि० [illegible] कार्य स्थल पर जलजमाव है। [illegible]

क० अभियंता की रिपोर्ट के आलोक में जल जमाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए [illegible] समय विस्तार की अनुमति दी जाती है।
[illegible]
20/8/13

25.9.13

सेवा में

श्री मान् कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत सुल्तानपुर (पटना)

विषय :- नगर पंचायत भवन का मरम्मति एवं रंग-रोगन कार्य योजना सं० 09/2013-14 में समय विस्तार करने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है, कि योजना सं०-09/2013-14 का संवेदक हूँ। मेरा कार्यादेश दिनांक 13/09/13 को निर्गत किया गया है। इस कार्य को मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया है, परन्तु कार्यालय में कुछ एवं अन्य सरकारी कार्यों के कारण नगर पंचायत के कार्यालय एवं इत्यादि का कार्य करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि हर समय आम जनता की भीड़-भाड़ लगा रहता है, इसलिए कार्य कि गति धीमी रहने के कारण स-समय कार्य करना संभव नहीं है। इसलिए हम के मात्र 4 माह का अतिरिक्त समय विस्तार देने कि कृपा प्रदान करें।

अतः श्री मान से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त समय विस्तार देने कि कृपा प्रदान करें। इस कार्य हेतु मैं सदा आप का आभारी रहूँगा। साथ ही नगर पंचायत कार्यालय का मरम्मति एवं रंग-रोगन का कार्य निर्धारित अवधि में कर सकूँ।

आपका विश्वासी -
Sanjeet Kumar Jaiswal
(Govt. Contractor)
At - Sultanpur Adalat Bazar
P.O + P.S - Barh, Di - Patna
25/9/2013

[illegible]
25/9/13

[illegible]
25/9/13

[illegible]
25/9/13

28-7-12

सेवा में

श्री मान कार्यपालक पदाधिकारी
कार्यपालक पदाधिकारी खुसरूपुर

विषय:- योजना संख्या 07/12–13 **(BRGF)** में समयावधि विस्तार करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन यह है मै निलेश कुमार योजना संख्या 07/12–13 **(BRGF)** का संवेदक हुँ जिसका कार्यादेश दिनांक 09/07/2012 को दिया गया था जिसमे कार्य को पुर्ण के 30 दिनो का शपथ दिया गया था परन्तु स्थानीय लोगो के द्वारा कार्य में वाघा दिया जा रहा है जिस कारण इस कार्य को 30 दिनो में पुर्ण करना संभव नही है अत: श्रीमान से निवेदन है कि इस कार्य को पुर्ण करने के लियादिये गये समयावधि में कम से कम छ महीने का विस्तार किया जाए ताकि इस बीच स्थानीय लोगो से बात चोत कर कार्य को पुर्ण करा सकु।

अत:श्री मान से निवेदन ह कि कार्य को पुर्ण करने के लिया कार्याअवधि में समय विस्तार करने की अनुमति प्रदान की जाए जिसके लिए में आपको सदा अभारी रहुँगा।

आपका विश्वासी

Nilesh Kumar

20.4.13

सेवा में
श्री मान कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत खुसरूपुर (पटना)

योजना सं० - 23/2012-13 (B.R.G.F) में समयावधि विस्तार करने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं संजीत कुमार B.R.G.F. आवंटित योजना सं० - 23/2012-13 का संवेदक हूँ। जिसका कार्यादेश 12/3/2013 को दिया गया था। जिसमें कार्य करने कि अवधि-मात्र दो माह का दिया गया है। इस कार्य को मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया भी पर स्थानीय लोगों के द्वारा स्थल विवाद उत्पन्न कर दिया गया है। जिसके कारण कार्यादेश में लिखी गई तक कार्य पूर्ण करना संभव नहीं है। विवाद सुलझ होने के उपरांत ही कार्य पूर्ण हो सकेगा।

अतः श्री मान से नम्र निवेदन है कि उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु मुझे कम-से-कम तीन माह का समय विस्तार की स्वीकृति प्रदान करने कि कृपा प्रदान करें। इस कार्य हेतु मैं श्री मान का सदैव आभारी रहूँगा।

कार्य पदा०
स्थल विवाद के कारण कार्य बाधित है। अतः समय विस्तार हेतु कृपया आदेश दें।
20/4/13
J.E.

प्र० सहायक
स्थल पर जाकर जाँच प्रतिवेदन दें।
[signature] 20/4/13

कार्यपालक पदा०
[illegible]
20/4/13

[illegible]
[signature] 20/4/13

आपका विश्वासी -
Sanjeet Kumar Jaiswal
(Work Contractor)
Add - Salempur Barh Bazar
P.O + P.S - Barh, Di. Patna
20/4/13

20.3.13

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत [illegible]

विषय - यो० सं० 21/2012-13 में समय अवधि विस्तार करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि अजय कुमार यो० सं० 21/2012-13 का संवेदक हूँ। जिसका कार्यादेश दिनांक 29/1/2013 को प्राप्त हुआ। कार्य पूर्ण करने की अवधि 31 मार्च दिया गया था लेकिन कार्य विवाद रहने के कारण समय पर कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि कार्य पूर्ण करने हेतु एक माह का समय वृद्धि किया जाय ताकि कार्य पूर्ण कर सकूँ।

आपका विश्वासी
अजय कुमार
संवेदक
20/3/2013

[illegible marginal notes]

ह० 22/3/13

ह० 22/3/13

ह० 23/3/13

कंडिका (4)

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank

शाखा/Branch BAHADURPUR

दिनांक
Date 25062015

बचत/चालू/ओडी/नकद उधार/आवर्ती जमा/आवधिक ऋण/पोषण खाता संख्या/क्रेडिट कार्ड संख्या SF/CA/OD/CC/RD/TL/DL A/C No./Credit Card No.

1315000100130302

नाम/Name EXECUTIVE OFFICER N.P. KHUSRUPUR

दूर/Tel.

राशि
Amount 892 | पै./P. 00

राशि शब्दों में/Amount in words Rs. EIGHT HUNDRED NINETY TWO ONLY

चेक / ड्राफ्ट ... बैंक का नाम / Cheque ... Name of Bank	₹	पै./P.
कुल/Total	892	00

Officer/Cashier/SWO

Punjab National Bank Toll free
24 hours call centre 1800 180 2222 / 1800 103 2222

पनबैं/PNB 154(R) ... 15 (20 Lvs) Anand

स०निदेशक